

प्रेषक,

**रणविजय सिंह,**  
विशेष सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

**1- आयुक्त,**

आवास एवं विकास परिषद्  
उ०प्र०।

**2- उपाध्यक्ष,**

प्रयागराज, कानपुर, मेरठ, गोरखपुर,  
गाजियाबाद, बांदा, उन्नाव-शुक्लागंज,  
झाँसी, अयोध्या, खुर्जा, बस्ती एवं  
मीरजापुर-विन्ध्याचल विकास प्राधिकरण,  
उ०प्र०।

**3- अध्यक्ष,**

समस्त विशेष क्षेत्र विकास  
प्राधिकरण, उ०प्र० (चित्रकूट  
को छोड़कर)।

**4- निदेशक,**

नगर भूमि सीमारोपण विभाग,  
उ०प्र०।

**आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-5**

**लखनऊ : दिनांक /3 जनवरी, 2022**

विषय : आवास एवं शहरी नियोजन विभाग से संबंधित कोर्टकेस के अनुश्रवण हेतु विकसित साफ्टवेयर के क्रियान्वयन हेतु नोडल अधिकारी नामित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के पत्र संख्या-2946/आठ-5-21-44विविध/2011 टीसी, दिनांक 25.11.2021 एवं अनुस्मारक पत्र संख्या-3092/आठ-5-21-44विविध/2011 टीसी, दिनांक 17.12.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा कोर्टकेस के मानीटरिंग एवं अनुश्रवण हेतु विकसित साफ्टवेयर में समस्त अभिकरणों के स्तर पर डाटा फीडिंग का कार्य किये जाने हेतु सभी अभिकरणों द्वारा नोडल अधिकारी नामित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था।

2- अवगत कराना है कि आपके द्वारा उक्त के सम्बन्ध में सूचना अभी तक उपलब्ध नहीं करायी गयी है, जिसके कारण कोर्टकेस के मानीटरिंग एवं अनुश्रवण हेतु विकसित उक्त साफ्टवेयर के क्रियान्वयन में अनावश्यक विलम्ब हो रहा है। यह स्थिति उचित नहीं है।

3- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अपने कार्यालय स्तर पर उक्त साफ्टवेयर के क्रियान्वयन एवं डाटा फीडिंग हेतु एक नोडल अधिकारी नामित करते हुए उक्त नोडल अधिकारी का नाम, पदनाम, मोबाइल नम्बर एवं ई-मेल आई.डी. शासन को **03 कार्य दिवस** में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।


भवदीय,

  
**(रणविजय सिंह)**  
विशेष सचिव।

**संख्या एवं दिनांक तदैव :**

प्रतिलिपि निजी सचिव, समस्त विशेष सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

  
**(रणविजय सिंह)**  
विशेष सचिव।